न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
/180/2011	12.08.2011	23.02.2022

बउनवान

1– निवाजा पुत्र श्री मेदी जाति मेव उम्र करीब 65 साल निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर –राजस्थान–मृतक

1/1 अतरी वेवा निवाजा

1/2 हन्नास पुत्र निवाजा

1/3 आसू पुत्र निवाजा जातियान मेव निवासीयान ग्राम चिरख़ाना तहसील, जिला अलवर

1/4 रसीदन पुत्री निवाजा पत्नी सप्पी,

1/5 मकसूदन पुत्री निवाजा पत्नी दीनू,

सुभानी पुत्री निवाजा पत्नी नूरमोहम्मद जातियान मेव निवासीयान पलखडी तहसील अलवर,

1/7 रमजानो पुत्री निवाजा पत्नी फारूख ,

1/8 जरीना पुत्री निवाजा पत्नी जमशेद जाति मेव निवासी मुरादवाद तहसील तिजारा जिला अलवर

1/9 हारूनी पुत्री निवाजा पत्नी रूवीन जाति मेव निवासी नांगलटप्पा तहसील रामगढ जिला अलवर

––वादीगण

बनाम

1 – श्री रूस्तम खां पुत्र स्वर्गीय श्री मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर–राज. (मृतक)

1/1 निजर खां पुत्र स्वर्गीय श्री रूस्तम खां जाति मेव निवासी ग्राम चिरखाना का बास तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

1/2 महमूद खां पुत्र स्वर्गीय श्री रूस्तम खां जाति मेव निवासी ग्राम चिरखाना का बास तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

1/3 कमाल खां पुत्र स्वर्गीय श्री रूस्तम खां निवासी ग्राम चिरखाना का बास तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

1/4 रसीद खां पुत्र स्वर्गीय श्री रूस्तम खां जाति मेव निवासी ग्राम चिरखाना का बास तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

1/5 सलेमी पुत्री स्वर्गीय श्री रूस्तम खां जाति मेव निवासी ग्राम चिरखाना का बास तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

1/6 मु.फरमीना पुत्री श्री स्वर्गीय श्री रूस्तम खां उम्र करीब 42 साल जाति मेव निवासी ग्राम चिरखाना का बास तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान (वारिस काविज जायदाद रूस्तम)

2–छोटा खां पुत्र स्वर्गीय श्री मुंशी खां जाति मेव निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर--राजस्थान

3–कनडी पुत्री स्वर्गीय श्री मंशी खां जाति मेव उम्र करीब 45 साल निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

4–सूखी पुत्री स्वर्गीय श्री मुंशी खां जाति मेव उम्र करीब 40 साल निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

5– ईसब खां पुत्र स्वर्गीय श्री ऐवज खां जाति मेव उम्र करीब 75 साल निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

6– इस्लामी पत्नी छोटे खां जाति मेव निवासी चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

7–सलेम खां पुत्र इस्माईल खा जाति मेव निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

8–अयूब खां पुत्र स्वर्गीय श्री छोटे खां पौत्र स्वर्गीय श्री ईमाम खां जाति मेव उम्र करीब 35 साल निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

9–महबूब खां पुत्र स्वर्गीय श्री छोटे खां पौत्रद स्वर्गीय ईमाम खां जाति मेव उम्र करीब 30साल निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर–राज.

10–लियाकत खां पुत्र स्वर्गीय श्री छोटे खां पौत्र स्वर्गीय श्री ईमाम खां जाति मेव उम्र करीब 28 साल निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

11–रमजानी पुत्री स्वर्गीय श्री छोटे खां पौत्री स्वर्गीय ईमाम खां जाति मेव उम्र करीब 38 साल निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

12–जमीला पुत्री स्वर्गीय श्री छोटे खां पौत्री स्वर्गीय ईमाम खां जाति मेव उम्र करीब 40साल निवासी ग्राम चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

13–राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर अलवर

14– तहसीलदार अलवर राजस्थान बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील अलवर जिला अलवर

–– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

: निर्णय :

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है,कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा संयुक्त रूप से साबिक खसरा नम्बर 90 रकबा 2.08 बीघा हाल ख.न. 150 रकबा 0.31 है0, 154 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम चिरखाना को बजर्ये बयनामा तहरीरी दिनांक 07.05.1981 पंजीयन दिनांक 23.05.1981 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 337 पेज संख्या 107 से 108, क्र.स. 842 उप–पंजीयक अलवर के प्रतिवादी–1 लगा. 4 के पिता गुंशी खां व प्रतिवादी–5 के पिता ऐवज व प्रतिवादी 6 लगा 10 के पिता इमाम खां से मुबलिग 5000 रूपये में खरीद किया गया। उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का दोनो का 1/2–1/2 था जिस पर वे काबिज थे। सेटिलमेन्ट के बाद खसरा नम्बर 150 रकबा 0.31 है0 गैर खातेदारी का चला आ रहा है। बाद खरीद से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 उपरोक्त वर्णित आराजी पर बोनाफाइड पर्चेजर की हैसियत से काबिज व दाखिल होकर काबिज है। उपरोक्त आराजी को खरीद करने के बाद से ही वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगा. 10 से उपरोक्त वर्णित आराजी की बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये रहा किन्तु वे टालमटोल करते रहें। वादी वक्त खरीद से ही उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 150 रकबा 0.31 है0 पर काबिज है एवं अपने नाम का अंकन करवाने व इस्तकरार हक को दरूस्त कराने का अधिकारी है।

अतः वादी ने वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रकार अनुतोष चाहा कि– वादी के हक मे हाल खसरा न. 150 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम चिरखाना को गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदारी दर्ज करते हुए खातेदार घोषित किया जावे। हाल आराजी खसरा न. 150 रकबा 0.31 है0, वाके ग्राम चिरखाना को दीगर जगह रहन बय नही करने एवं वादी के कब्जे काश्त मे कोई रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने हेतु प्रतिवादीगण को पावन्द किया जावें। अन्य उचित आज्ञा जो न्यायालय श्रीमान उचित व जायज समझे प्रतिवादीगण के विरूद पारित फरमाने की कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण असालतन एवं वकालतन उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी गण के विरूद एक तरफा कार्यवाही की गई। वाद साक्ष्य वादी में नियत कर पी.डब्लयू.01–निवाजा पुत्र मेढी, पी.डब्लयू.02 अब्दुला पुत्र सल्लू, पी.डब्लयू.03 ईदू पुत्र सुब्बा मेव के शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी की बहस सुनी।

वकील वादी ने अपनी वहस में वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 90 रकबा 2.08 बीघा के हाल ख.न. 150 रकबा 0.31 है0,154 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम चिरखान को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया। वक्त क्रय से ही वादी ख.न. 150 रकबा 0.31 है0 पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी प्रश्नगत आराजी पर बोनाफाइड पर्चेजर की हेसियत से काबिज काश्तकार है। विवादित आराजी का रिकार्ड में गैर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

खातेदारी का अंकन चला आ रहा है। अतः वादी को मुताबिक बयनामा खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया।

नकल मिसल बन्दोबस्त में प्रश्नगत साबिक खसरा न. 90 रकबा 2.08 बीघा पर ऐवज एवं इमम खां हिस्सा बराबर का अंकन है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2023–26 प्रर्दश–4 में भी इसी प्रकार इन्द्राजात है। बयनामा के अनुसार साबिक खसरा नं0 90 रकबा 2.08 बीघा के 1/2 भाग का इमाम खां द्वारा निवाजा के हक में निषपादन कराने का अंकन है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2051 प्रदर्श 05 साबिक खसरा न. 90 रकबा 2.08 बीघा के हाल खसरा नं0 150 रकबा 0.31 है0 एवं 154 रकबा 0.30 है0 कायम किये गये। वकील वादी ने अपनी बहस में हाल खसरा नं0 150 रकबा 0.31 है0 पर वादी का कब्जा होना एवं गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज कराने का अनुतोष चाहा है।

खसरा नं. 150 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम चिरखाना की पटवारी हल्का कारोली से मौके की रिपोर्ट चाही गई। पटवारी हल्का कारोली ने अपनी रिर्पोट दिनांक 03.01.2022 में अंकित किया कि आराजी खसरा नम्बर 150 वाके ग्राम चिरखाना अयूब पुत्र छोटे खां, कमालदीन पुत्र रूस्तम, निज्जर पुत्र रूस्तम व अन्य कुल 15 व्यक्तियों के नाम दर्ज रिकोर्ड है। मौके पर सरसो की काश्त की हुई है। तथा आसू पुत्र निवाजा व हन्नास पुत्र निवाजा का मौके पर कब्जा होना अंकित किया। उपरोक्त दस्तावेजो साक्ष्य के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नं. हाल 150 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम चिरखाना में पूर्व के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। तदानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करेगें।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर